राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क, जयपुर–302016
फोन नम्बर 0141–4004914 Website:- www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– प. 17 ( )/काउ.(सत्र 2023–24)/रा.पै.मेडि.कौं/2024/42 दिनांकः– 22/4/24

प्रधानाचार्य,
संबंद्ध समस्त पैरामेडिकल महाविद्यालय/संस्थान,
राजस्थान।

विषय : प्रशिक्षण सत्र 2023–24 में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रशिक्षण सत्र् 2023–24 में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त राजकीय व निजी महाविद्यालय/संस्थाओं में पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रशिक्षण हेतु विद्यार्थियों को ऑनलाईन काउन्सलिंग के द्वारा अस्थाई आवंटन पत्र जारी कर प्रवेश प्रदान किये गये है।

प्रशिक्षण सत्र 2023–24 के लिए समस्त महाविद्यालयों/संस्थानों ने अपने–अपने यूजर आई.डी. के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया के दौरान लिये गये प्रवेश विद्यार्थियों को निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार पैरा मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु इच्छुक विद्यार्थियों की उपस्थिति (Reporting) प्रेषित की है।

विद्यार्थियों को अस्थाई आवंटन पत्र जारी कर संबंधित महाविद्यालय द्वारा योग्यताधारी विद्यार्थियों को प्रवेश प्रदान किया गया है, इन विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना है। दस्तावेजों का पूर्ण सत्यापन किये जाने के पश्चात् ही योग्यताधारी विद्यार्थियों का नियमानुसार नामांकन किया जा सकेगा।

इस हेतु समस्त महाविद्यालय/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि वे अपने महाविद्यालय/संस्थान में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के समस्त मूल दस्तावेज निम्नलिखित निर्देशानुसार तैयार कर संलग्न समय–सारणी के अनुसार निर्धारित दिनांक व समय पर कौंसिल में **व्यक्तिशः (डाक से नहीं)** उपस्थित होवे –

1. **सभी मूल दस्तावेजों की स्केन कॉपी पैन ड्राईव में कौंसिल में जमा की जावेगी,** किन्तु माईग्रेशन प्रमाण–पत्र के अतिरिक्त अन्य समस्त मूल दस्तावेजात सत्यापन उपरान्त संबंधित महाविद्यालय/संस्थान के प्रतिनिधि को उसी समय वापस लौटा दिये जायेंगे।
2. प्रत्येक विद्यार्थी के मूल दस्तावेज क्रमवार, जो कि संबंधित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा सत्यापित हो, आवश्यक रूप से निम्नलिखित क्रम में होने चाहिए, ताकि समय की बचत हो सकें –
    1. प्रशिक्षण सत्र् 2023–24 के लिए आवेदन पत्र।
    2. ऑनलाईन अस्थाई आवंटन पत्र।
    3. माध्यमिक/सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका।
    4. माध्यमिक/सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण–पत्र।
    5. उच्च माध्यमिक/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका।
    6. उच्च माध्यमिक/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण–पत्र।
    7. प्रवजन/माइग्रेशन प्रमाण–पत्र, जहाँ से अन्तिम शैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
    8. जाति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो)
    9. मूल–निवास प्रमाण–पत्र। (विशेष मूल निवास प्रमाण–पत्र यदि लागू हो तो)
    10. दिव्यांगता/विधवा–तलाकशुदा/डिफेन्स प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो)
    11. स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र। (काउन्सलिंग के दौरान अपनी उपस्थिति (Reporting) करते समय प्रस्तुत किया है)
    12. सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र।
    13. यदि किसी विद्यार्थी द्वारा किसी भी संदर्भ/आशय का कोई शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है तो वह मूल शपथ–पत्र। (जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डुप्लीकेट अंक–तालिका आदि अन्य सभी कारण)

समस्त महाविद्यालय/संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित महाविद्यालय/संस्थान निर्धारित दिनांक को प्रातः 10.00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण मूल दस्तावेज एवं पैन ड्राइव के साथ कौंसिल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, जिससे विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन समय पर किया जाकर, उसी दिन संबंधित महाविद्यालय को मूल दस्तावेज लौटा दिये जायेंगे।

विनिश्चत दिनांक व समय पर समस्त रिकॉर्ड/दस्तावेज के साथ उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रू. 5000/– की शास्ति वसूल कर आगामी विनिश्चत की जाने वाली तिथि पर उपस्थित होना होगा, जिसके लिये संबंधित महाविद्यालय स्वंय उत्तरदायी होगा।

संलग्नः–

1. समय–सारणी।

22/4/24

(महेन्द्र प्रताप सिंह)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार